8-11-16 पत्रावली पेश हुई। दरखास्त प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण को सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिन्हें शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण उपस्थित नहीं। विपक्षीगण को कितनी ही मर्तबा विधिवत तामील कराये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। दरखास्त प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। दरखास्त प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गयी। बहस के दौरान दरखास्त प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों, दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र के स्वीकार किये जाने की इल्तजा की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, तथा एक तरफा बहस पूर्व में दिनांक 5-10-2016 पर मनन किया गया। न्याय हित में प्रार्थी ने एक के प्रार्थी की गयी इस्तायी निषेधाज्ञा विपक्षीगण के विरुद्ध क्रम वाद के निस्तारण तक इन्फर्स की जाती है। पत्रावली के काल्पनिक अभाव की जाकर क्रम वाद के साथ लेखाकी जावे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा